

विदेशी लडकी से शादी विदेशी बहू भारत मे

1. यदि कोई भी । पी कार्ड धारक । भारतीय नागरिक पुरुष । किसी भी विदेशी लडकी से । शादी करता है ।
2. और शादी के बाद । विदेशी लडकी को । भारत मे ही रखना चाहता है ।
3. तो उस । विदेशी लडकी को । विदेश के । हर किसी देश की । नागरिकता छोडनी होगी ।
4. जब विदेशी लडकी । विदेश के । हर किसी देश की । नागरिकता । छोडने का सर्टीफिकेट । भारत सरकार को देगी ।
5. तभी विदेशी बहू को । पी य अन्य कार्ड मिलेंगे । तभी विदेशी बहू । भारत की । नागरिक बन सकती है ।
6. तभी विदेशी बहू को । भारत सरकार मदद भूमि । मिल सकती है ।
7. भारतीय नागरिक से शादी के बाद । विदेशी लडकी चाहे । भारत मे रहे । य विदेश मे रहे । किसी भी सूरत मे । यदि विदेशी लडकी के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
8. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत मे बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

विदेशी बहू विदेश मे

1. यदि कोई भी । पी कार्ड धारक । भारतीय नागरिक पुरुष । किसी भी । विदेशी लडकी से । शादी करता है ।
2. और शादी के बाद । विदेशी लडकी को । भारत मे । नही रखना चाहता है ।
3. विदेशी लडकी को । विदेश मे ही । रखना चाहता है । तो उस । विदेशी लडकी को । भारत की नागरिकता । नही मिलेगी ।
4. यदि विदेशी लडकी । भारत अपने ससुराल आती है । तो उस विदेशी लडकी को । एफ टी कार्ड । यानी । फार्नर ट्रैवल कार्ड के जरिये ही । तय सीमा । अवधि के लिए ही । भारत आना होगा ।
5. भारतीय नागरिक से शादी के बाद । विदेशी लडकी चाहे । भारत मे रहे । य विदेश मे रहे । किसी भी सूरत मे । यदि विदेशी लडकी के । लडका य लडकी बच्चा होता है ।
6. तो यदि । लडका य लडकी बच्चा । का पी कार्ड भारत मे बनता है । तो ही । लडका य लडकी बच्चा । भारत का नागरिक होगा ।

भारत का धन

1. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।

2. भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक मे । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । किसी भी । कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । उस देश मे । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते है ।

विदेश का धन

1. विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे । जमा करके । धन को किसी भी । कार्ड मे । अंकित कराना होगा ।
2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड मे । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड मे अंकित । जमा कराना होगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की